

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank
of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 14-11-2023

Agency Name.	Avaada Green HN Project Private Limited
Application No.	64148304480
MoEF/SG File No.	9-HRB128-2022-CHA
Location.	HARAYANA
Address.	Poharka to Mithi Sureran 132 S/stnSirsra
Amount(in Rs)	605750/-

Amount in Words : Six Lakh Five Thousand Seven Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506964148304480 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank
of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 14-11-2023

Agency Name.	Avaada Green HN Project Private Limited
Application No.	64148304480
MoEF/SG File No.	9-HRB128-2022-CHA
Location.	HARAYANA
Address:	Poharka to Mithi Sureran 132 S/stn Sirsa
Amount(in Rs)	605750/-

Amount in Words : Six Lakh Five Thousand Seven Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506964148304480 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

RTGS_UTR_NO! - SBINR52023113086834653

RTGS_DATE - 30. Nov. 2023





**TRADITIONAL FOREST DWELLERS RECOGNITION OF
FOREST RIGHT ACT, 2006.**

Title of the Case/Project: Diversion of 0.096 ha of forest land for construction of 132 KV D/C Line Avaada Green HN Project private Limited, Poharka to 132 S/stn, Mithi Sureran (Ellenabad), under Forest Division & Distt.Sirsa.


It is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "Forest" Less than 75 years prior to the 13th Day of December 2005 and having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.

Memo No 5057

/MA Dated: 17-11-23


CTM,
for District Collector,
Sirsa. 

A copy is forwarded to District Forest Officer, Sirsa w.r.t. his office Memo No. 5625 dated 17.11.2021 for information and further necessary action please.


CTM,
for District Collector,
Sirsa.

Correspondence Office:
406, Hubtown Solaris,
N. S. Phadke Marg, Andheri (E),
Mumbai - 400069
T: +91-22-6140 8000

Registered Office:
910/19, Suryakiran,
Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi - 110 001
T: +91-120-6757000
E: avaadagreenHN@avaada.com
www.avaadaenergy.com

प्रमाण पत्र

Diversion of 0.096 ha of forest land for construction of 132 KV D/C Line Avaada Green HnN Project Private Ltd., Poharka to 32 S/stn, Mithi Sureran (Ellenabad), under Forest Division and District Sirsa, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/TRANS/148304/2021)

यह प्रमाणित किया जाता है कि विषयांकित प्रस्ताव में जारी स्टेज-1 की स्वीकृति अनुसार निम्न हिदायतों की पालना करनी सुनिश्चित की जाएगी।

वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्त एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कडाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
- iii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- iv. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेगी।
- v. एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता-एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- vi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी उच्च एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- vii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- viii. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
- ix. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिये प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- x. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।
- xi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करयेगी, ताकि साथ लगे वन क्षेत्र को किसी प्रकार का नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
- xii. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।
- xiii. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये कम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।
- xiv. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनज लगाए जांगे।
- xv. प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।
- xvi. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।



Correspondence Office:

406, Hubtown Solaris,
N. S. Phadke Marg, Andheri (E),
Mumbai - 400069
T: +91-22-6140 8000

Registered Office:

910/19, Suryakiran,
Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi - 110 001
T: +91-120-6757000
E: avaadagreenHN@avaada.com
www.avaadaenergy.com

- xvii. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xviii. इस प्रस्ताव को **15 वर्षों** के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत **diversion** की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली **lease** की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समप्ति होगी।
- xix. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
- xx. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होता है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।
- xxi. इनमें से किसी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.121 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।

